अनुसूचित जनजातियों की स्कूल–शिक्षा

डॉ. संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ एजूकेशन, बिलासपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.), भारत।

भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग जनजातीय समुदाय अत्यन्त प्राचीन समय से ही पाये जाते हैं। रामायणकालीन शबरी अथवा महाभारतकालीन एकलव्य भील जनजाति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। 'जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है, जो एक सामान्य भू–भाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हो।'[i] प्रत्येक जातीय समाज की अपनी एक अलग आन्तरिक स्थिति होती है। यही तथ्य जनजातियों के लिये भी सत्य सिद्ध होता है। जनजातियों के अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि विभिन्न जनजातियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उनकी अपनी कुछ निजी प्रथाएँ एवं परम्पराएँ हैं, जिसका वे अनवरत् रूप से पालन करते आ रहे हैं। जनजातियाँ वृहत साम्राज्यों, गणराज्यों तथा महाराजाओं के साथ संबद्ध थीं।[ii] सन् 1891 की जनसंख्या रिपोर्ट में जनसंख्या आयुक्त जे.ए. बेन्स ने जनजातियों को उनके परंपरागत व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया। 'कृषक व चरवाह जनजातियों' की श्रेणी के तहत उसने 'वन्य जनजातियों' के नाम से एक पृथक् उप–शीर्ष बनाया। सन् 1901 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें 'प्रकृतिवादी' कहा गया तथा 1911 में उन्हें जनजातीय प्रकृतिवादी अथवा जनजातीय धर्म को मानने वाले लोग कहा गया। सन् 1921 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें 'पहाड़ी व वन्य जनजातियों' का नाम दिया गया तथा उनकी संख्या को लगभग 1.6 करोड़ अनुमानित किया गया। सन् 1931 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें 'आदिम जनजातियाँ' कहा गया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में जनजातीय जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें केवल 'पिछड़ी जनजातियों' का नाम दिया गया। सन् 1941 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें केवल 'जनजातियाँ' कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार, अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य वे जनजातियाँ अथवा जनजातीय समुदाय

अथवा इस प्रकार की जनजातियों अथवा जनजातीय समुदाय के अंशों अथवा समूहों से है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गये हैं।[iii] भारत एक कल्याणकारी राज्य है अतः सभी शोषित एवं पिछड़े वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना हमारी प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों को शोषण से मुक्ति दिलाना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनजाति कल्याण के लिये एक पृथक् नीति ही अपनायी है। इसे जनजातीय नीति कहते हैं। राज्य के अतिरिक्त गैर–सरकारी संस्थाओं ने भी अपना एक पृथक् नीति–निर्धारण किया है। ये सभी प्रयत्न इसलिए हैं कि जनजातियों की एथनिक पहचान बनी रहे और साथ ही उन्हें उनकी समस्याओं से मुक्ति मिले।[iv]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया तय की गयी। फलस्वरूप शैक्षिक विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले गये। पाठ्यक्रम निर्माण में प्रारम्भिक अवस्था में आदिवासी भाषाओं को लागू किया गया। शिक्षित आदिवासी युवकों को अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। आश्रमशालायें और आवासीय विद्यालय खोले गये तथा आगनबाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खोला गया।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 104,281,034 है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है।[v] जनजातीय जनसंख्या 1961 से लगातार बढ़ रही है। जनजातीय जनसंख्या के संबंध में वर्ष 1971 से 1981 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान बढ़ोत्तरी (35.79 प्रतिशत) कुल जनसंख्या के मुकाबले (25.0 प्रतिशत) अधिक रही है। जनगणना वर्ष 1981–1991 के बीच जनजातीय जनसंख्या वृद्धि (31.64 प्रतिशत) रही है। वर्ष 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या वृद्धि दर 22.66 प्रतिशत की तुलना में यह 24.45 प्रतिशत रही है। वर्ष 2011 में वृद्धिदर 23.7 प्रतिशत रही। अनुसूचित जनजातियों की पुरुष साक्षरता 2001 में 55.39 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 70.7 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 32.44 प्रतिशत से बढ़कर 52.1 प्रतिशत हो गई है। जनजातियों में साक्षरता दर देश की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 70.04 प्रतिशत की तुलना में कम (44.3 प्रतिशत) है।

सारणी – 1

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों का स्कूल शिक्षा में लिंगानुसार स्तरवार नामांकन, 2011–12

	बालक	बालिका	कुल
प्राथमिक	79	74	153
उच्च प्राथमिक	29	27	56
माध्यमिक	14	12	26
उच्च माध्यमिक	7	6	13

स्रोत :Educational Statistics at a Glance, Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy, New Delhi 2016, p. 22.

अवसर की समानता' के संवैधानिक आश्वासन को पूरा करने के साथ–साथ समावेशित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता प्राप्त उच्च शिक्षा तक समान पहुंच अनिवार्य पूर्व शर्त है। तथापि, इनमें से अधिकांश असमानताएं स्कूल स्तर पर वंचित, उपेक्षित तथा पार्श्ववर्ती वर्गों के बीच न्यून नामांकन और अधिक नाम कटाने के कारण पैदा होते हैं।

सारणी – 2

अनुसूचित जनजातियों में स्कूल शिक्षा में लिंगानुसार औसत वार्षिक ड्राप आउट की दर, 2011–12

शिक्षा स्तर	बालक	बालिका	कुल
प्राथमिक	7.98	7.98	7.98
उच्च प्राथमिक	8.03	8.85	8.43
माध्यमिक	27.42	26.96	27.20
उच्च माध्यमिक	3.09	2.77	2.94

स्रोत :Educational Statistics at a Glance, Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy, New Delhi 2016, p. 38.

आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुशिक्षित, संबंधित ज्ञान से परिपूर्ण, दृष्टिकोण और कौशल वाले लोगों की आवश्यकता है। सामाजिक–आर्थिक रूप से प्रेरित करना और न्यायसंगत तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्र और मुख्य साधन है। शिक्षा आर्थिक कल्याण के लिए कौशल और योग्यता उपलब्ध कराती है। शिक्षा नागरिकों को शासन प्रक्रियाओं में पूर्ण रूपेण सहभागिता के लिए आवश्यक साधन

जुटाकर प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करती है। सामाजिक जुड़ाव और राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहित करने वाले मूल्य बताकर शिक्षा समाज में समाकलनात्मक के रूप में भी कार्य करती है।[vi]

डा. एल्विन की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्डों के कार्यों का अध्ययन करने के लिये एक समिति का गठन भारत सरकार ने 1955 में किया। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1960 में प्रस्तुत किया। 1961 में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति व इनके क्षेत्र की समस्याओं के अध्ययन के लिये श्री यू.एन. ढेबर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने इसके विकास को ध्यान में रखते हुये जनजातीय विकास खण्ड की स्थापना पर जोर दिया। इसी के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास खण्ड की स्थापना की गई। उक्त आयोग ने जनजातीय शिक्षा के विकास के लिये निम्न सुझाव दिये –

- अध्यापकों को जनजातीय संस्कृति का ज्ञान
- बच्चों को दोपहर का भोजन
- अध्यापकों को आवास एवं अन्य सुविधा
- क्राफ्ट एवं टेक्निकल ज्ञान
- प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना
- जनजातीय भाषाओं का विस्तार

अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक समस्याओं एवं विकास स्तर के उन्नयन का अध्ययन करने के उपरान्त कोठारी आयोग ने भी अपने निम्न सुझाव दिये–

- उनके माता–पिता की शिक्षा के लिये व्यवस्था।
- लड़कियों को शिक्षा के लिये विशेष प्रोत्साहन।
- पहले दो वर्ष की शिक्षा का माध्यम जनजातीय भाषा।
- छात्रवृत्ति का विशेष विस्तार।
- छात्रावास की सुविधा।
- विरल आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना।
- शिक्षण संस्थानों को उदारतापूर्वक दान।
- आश्रम विद्यालयों की स्थापना।
- जनजातीय खेल, आदिम जाति संगीत को पाठ्यक्रम में शामिल करना।

वर्तमान में, अनुसूचित जनजातियों की बहुत बड़ी समस्या जीवन–यापन के लिये आर्थिक स्रोत पैदा करने की है। शिक्षा को इसी मूल समस्या के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जीवनयापन के परंपरागत स्रोत उनके हाथ से फिसले हैं। आज समस्या उन्हें वैकल्पिक आय के स्रोत देने की है। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

सन्दर्भः

तवर, डॉ. गुलनाज़ (2007), बारेला जनजातीय जीवन एवं संस्कृति, आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल, आमुख.

वर्मा, रूपचंद्र (2003), भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 1.

वर्मा, रूपचंद्र (2003), भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2003, पृ. 7.

दोषी, शम्भूलाल, प्रकाश चन्द्र जैन (2009), भारतीय समाज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 159–164.

Tribal Profile at a Glance, May 2013.

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017), योजना आयोग भारत सरकार, नई दिल्ली, 2013, पृ. 49.